उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम अपील सं0– 37/2009–10

नागेश्वर मांझी ..... अपीलकर्त्ता

बनाम

रावण मांझी एवं अन्य ..... उत्तरकारी

।। आदेश ।।

13/05/2016 यह आर0एम0 अपील सं0– 37/09–10 नागेश्वर मांझी बनाम् रावण मांझी एवं अन्य, मौजा तारगच्छा, अंचल जरमुंडी के बीच भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका के पी0ए0 वाद सं0– 810/2007–088 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2009 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता मौजा के गैंजर प्रधान के वंशज है। अंतिम प्रधान भी उनके पूर्वज थे। धोधर मांझी के प्रधान होने के संबंध में उन्हें जानकारी नहीं है। मौजूदा प्रधान के पक्ष में 16 आना रैयत नहीं है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियमानुकूल नहीं है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा काफी दिनों से खास रहने के कारण मौजा में धारा 05 के अन्तर्गत प्रधान नियुक्त किया गया। मैं उस अंतिम प्रधान का वंशज हूँ। ऐसी स्थिति में गैंजर प्रधान का कोई दावा नहीं बनता है। अतः निम्न न्यायालय का आदेश सही है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरकारी के पिता धोधर मांझी को मौजा का प्रधान सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 05 के अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0 119/1965–66 आदेश दिनांक 08.06.1966 को नियुक्त किया गया है। उनके मृत्यु के पश्चात अंचल अधिकारी, जरमुंडी के अनुशंसा के आधार पर उत्तरकारी को सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत मौजा का प्रधान नियुक्त किया गया है। इसी आदेश के विरूद्ध में यह अपील वाद दायर किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मौजा का अंतिम प्रधान धोधर मांझी थे। उत्तरकारी उनके पुत्र है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरकारी को सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान पद पर किया गया नियुक्ति सही प्रतीत होता है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।